

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1109/दो-9-2018-17(1)/2014
लखनऊ: दिनांक : 16 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बसन्त कुमार गुप्ता, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 15.03.2018 एवं जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 27.03.2018 व दिनांक 24.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन मौजा रमदत्तपुर परगना शिवपुर सदर वाराणसी में मकान कय करने हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या- जी.ए.यू./73307 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1109(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- मुख्य कोषाधिकारी, फर्रुखाबाद।
 - 3- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
 - 4- श्री बसन्त कुमार गुप्त, पी0सी0एस0, डिप्टी कलेक्टर, सदर फर्रुखाबाद।
 - 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति।
 - 6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।